राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैंच सं. 2
(न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट, रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर)

बलजीत सिंह आदि बनाम जग्गा सिंह आदि
वाद सं 12/2020 जीसीएमएस आईडी : 2020/00152
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/स्था/ने.लो.अ./2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैंच सं. 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त रास्ता प्रकरण में वादीगण को प. नं. 287/342 मु.नं. 3 कि.नं. 21,22,23 प्रत्येक में 0.025है. रास्ता के कुल 6 बिस्वा रास्ता वादीगण को दे रखा हैं तथा इसके बदले में कि.नं. 3,8,13,18,23 में पश्चिम पासा से हमारी कब्जा शुदा भूमि के साथ चिपती हमे दे रखी हैं जिसको हम काश्त कर रहे हैं। हमने रास्ते वास्ते दी हुई भूमि बिना किसी प्रतिफल के दे रखी हैं। तथा बिना किसी प्रतिफल के ही ले रखी हैं। प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारान सहमति से रास्ता स्वीकृत करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 7 तरतीबी पक्षकार हैं एवं उसका जवाब बंद हो चुका हैं।

चूंकि प्रकरण में पक्षकारान का समझौता हो गया हैं, तथा प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2021/415 दिनांक 12.03.2021 के द्वारा भी प्रार्थी की मांग अनुसार चक 19 पीटीडी मु.नं. 3 कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.025है. व कि.नं. 24 में 16 गुणा 16 यानि 0.002है. कुल 0.077है. रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गयी हैं। अतः पक्षकारान की सहमति आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 19 पीटीडी मु.नं. 3 कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.025है. व कि.नं. 24 में 16 गुणा 16 फुट यानि 0.002है. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

12.3.22
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested